को सौंप दी जाती है।

11. इस खाते में एक वित्तीय वर्ष में 1.5 लाख रूपये तक की धन राशि जमा कराई जा सकती है।

इस प्रकार सुकन्या समृद्धि योजना पुत्री की शादी एवं उसकी उच्च शिक्षा हेतु बचत करने में मदद करेगी।

'बेटी बचाओ और बेटी पढाओ' मुहिम के अन्तर्गत विद्यालय स्तर पर करणीय कार्य :–

(i) समुदायके साथ सम्पर्क कर कन्या भ्रूण हत्या निषेध के कानूनी प्रावधानों को बताना।

(ii) अभिभावकों से सम्पर्क कर छात्रा नामांकन को विशेष प्रोत्साहन देना तथा जो बालिकाएँ विद्यालय नहीं जा रही है उन्हें विद्यालय से जोडना।

(iii) समुदाय में जाकर बालिका शिक्षा हेतु बनाई गई सरकारी योजनाओं को बताना। 6 से 14 वर्ष तक आयु की बालिकाओं के लिये संचालित कस्तूरबा गाँधी आवासीय विद्यालयों के बारे में उस गाँव के नागरिकों को जानकारी देना तथा जरूरत मन्द परिवारों को उनमें कन्याओं को प्रवेश दिलाने में सहायता करना। 15 वर्ष से 18 वर्ष की बालिकाओं के लिये कक्षा 9 से 12 तक की शिक्षा के लिये रमसा अभियान केतहत खोले गये 'शारदे आवासीय विद्यालयों के बारे में अभिभावकों को बताकर उनमें प्रवेश दिलाने में उनकी सहायता करना।

(iv) अपने विद्यालयों में बालिकाओं की उपस्थिति बढायें तथा उनके लिये पृथक से शौचालय आदि की व्यवस्था करें।

(v) सुकन्या समृद्धि खाता योजना का प्रचार–प्रसार करना।

आओ हम पटाखे विहीन दीवाली मनाएँ।
बच्चों बुजुर्गों बीमारों को शोर से बचाएँ।।

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान

(डाइट) भरतपुर (राज0)

DRU प्रभाग

सत्र 2015–16

बेटी बचाओ, बेटी पढाओ योजना

संरक्षक एवं मार्गदर्शक

श्री कैलाश चन्द्र कटारिया

प्राचार्य

प्रभागाध्यक्ष एवं मार्गदर्शक

श्री रिपुसूदन सिंह

उप प्राचार्य

प्रभाग प्रभारी

श्री सुरेशचन्द कुन्तल

व्याख्याता

प्रकाशन

आई0 एफ0 आई0 सी0 प्रभाग

डाइट, भरतपुर

मुद्रक : रजनी प्रिन्टर्स, मल्टी परपज चौराहा, भरतपुर मो.–7597758459